न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पारूल कुमारी..उ.प्र.न्यायिक सेवा(यू०पी० 03546)

UPHP120039172023

Civil Suit/185/2023

मूलवाद संख्या–185/2023

पुरू गोहित आदि बनाम श्रीमती निरंजन

तहसील–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–06.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। वादी द्वारा वाद वापसी प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.07.2026 दाखिल किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सशपथ प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.07.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी का प्रतिवादी से सुलह समझौता हो गया हैं सुलह समझौते की संपूर्ण शर्तें संलग्न नौटेरी दिनांकित 16.06.2026 में वर्णित हैं। वादी प्रतिवादी का अब कोई वाद विवाद शेष नहीं, जिस कारण वादी उक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा भविष्य में भी उक्त संबंध में कोई वाद योजित नहीं करेगा, संल्गन नौटेरी फैसलानामा प्रार्थनापत्र का अंग रहेगा।

प्रतिवादिनी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादिनी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत है। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र वास्ते वाद वापसी दिया गया है। चूंकि वादी अपने वाद की स्वामी होता है तथा वह किसी भी स्तर पर अपने वाद को वापिस ले सकता है। **आर्डर 23 नियम 1(1) सी०पी०सी** में वाद वापस लेने का प्रावधान दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.07.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.07.2026 वास्ते वाद वापसी के आधार पर वापस किया जाता है। वादी प्रस्तुत वाद के वाद कारण पर नवीन वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। वादी वाद व्यय हेतु स्वयं दायी होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)

सिविल जज (जू०डि०), गढ़मुक्तेश्वर

हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:12:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court